

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

शिव चरण मीना  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

128/2022/प्रा.पत्र/2022

26.12.2022

17.03.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....आवेदक

बनाम

1-श्री रिफत अख्तर पुत्र श्री सरताज अख्तर निवासी चतरा खटीक का नाला कालीपलटन  
टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स आधार हॉलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 2/78  
अनवर विला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एपीआरआई के सामने टोंक जिला टोंक  
2-मैसर्स आधार हॉलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 2/78 अनवर विला हाउसिंग  
बोर्ड कॉलोनी एपीआरआई के सामने टोंक जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की  
उप धारा (ii), (iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपरिथत-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी स्वयं उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 17.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक  
28.10.2022 को समय 02:30 पी.एम पर मैसर्स आधार हॉलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड  
2/78 अनवर विला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एपीआरआई के सामने टोंक जिला टोंक पर पहुँचा।  
वहाँ पर श्री रिफत अख्तर पुत्र श्री सरताज अख्तर मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय  
लिया तथा पूछने पर श्री रिफत अख्तर ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मैनेजर होना बताया तथा खाद्य  
अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि  
प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ रैक में लगभग 20 मूल  
पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 1-1 लीटर पैक घी (ब्रिटानिया ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे  
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न  
होने का अन्देशा हुआ तो श्री रिफत अख्तर को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर  
विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने  
हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह घी  
(ब्रिटानिया ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर बीओ222जी9 एवं पैकिंग की दिनांक 24.02.2022 थी, वास्ते



2252

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 1 लीटर पैक का 1 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (ब्रिटानिया ब्राण्ड) 1 लीटर पैक को खोलकर प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर-बराबर प्रत्येक शिशी में 250-250 एम.एल. भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3333 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3333 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना कय करते समय श्री रिफत अख्तर पुत्र श्री सरताज अख्तर ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3763 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3285/एक्ट/2022/3359 दिनांक 16.11.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया घी (ब्रिटानिया ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

आवेदक द्वारा विक्रेता श्री रिफत अख्तर पुत्र श्री सरताज अख्तर को पत्र लिखकर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया परन्तु विक्रेता ने कोई बिल पेश नहीं किया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी



जिस घी (ब्रिटानिया ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी (ब्रिटानिया ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.03.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0